संख्या:93/2018/1961जेएल/22-3-18-100(32)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2018***

विषय: जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध 02 विचाराधीन बंदियों-(1)सुशील गुर्जर उर्फ सुशील चौधरी पुत्र श्री ज्ञान सिंह एवं (2)हैदर पुत्र श्री महताब तथा जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी आदित्य पुत्र श्री राजपाल को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-33901/सामा-1(3)/बं0स्था0मे0परि0/2018, दिनांक 17-09-2018 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध निम्नलिखित 02 विचाराधीन बंदियों एवं जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध 01 विचाराधीन बंदी को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	सुशील गुर्जर उर्फ सुशील चौधरी पुत्र श्री ज्ञान सिंह	जि0का0 मुजफ्फरनगर	जि0का0लखनऊ
2	हैदर पुत्र श्री महताब	जि0का0 मुजफ्फरनगर	जि0का0उन्नाव
3	आदित्य पुत्र श्री राजपाल	जि0का0 मेरठ	जि0का0हरदोई

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:93/2018/1961जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर/मेरठ/लखनऊ/उन्नाव/हरदोई।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर/मेरठ/लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, उन्नाव/हरदोई।
5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर/उन्नाव/हरदोई एवं वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ/लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in